

प्रस्ताव हेतु अनुरोध
बीमा ब्रोकर/परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए

राष्ट्रीय आवास बैंक

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

राष्ट्रीय आवास बैंक में बीमा ब्रोकर का पैनलीकरण

आरएफपी संदर्भ संख्या: एनएचबी/एचओ/एचआरएमडी/2025/03317

प्रधान कार्यालय

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
मुख्य कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, 5वीं मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
संपर्क नंबर: 011-39187316
ईमेल: tushar.kumar@nhb.org.in

अस्वीकरण

यह प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) बैंक द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है, बल्कि बीमा ब्रोकर/परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए पात्र इच्छुक बोलीदाताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का निमंत्रण है। आरएफपी प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का संविदात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, जब तक कि बैंक द्वारा बोलीदाताओं के साथ औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर और निष्पादन नहीं कर लिया जाता। इस दस्तावेज़ को इसकी संपूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए।

1. विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	कोटेशन बोली नोटिस	3
2	सामान्य आरएफपी विवरण	4
3	अनिवार्य जानकारी	5
4	आवेदकों के लिए जानकारी	7
5	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए शर्तें	7
6	आरएफपी की सामान्य और विशेष शर्तें	9
7	कार्य का दायरा	11
8	प्रस्ताव / आवेदन प्रस्तुत करना	13
9	प्रस्तावों / आवेदनों का मूल्यांकन	14
10	पात्रता मापदंड	15
11	तकनीकी मूल्यांकन	16
12	प्रस्तुतीकरण	18
13	प्रक्रिया अनुपालन विवरण (अनुलग्नक I)	19
14	सत्यनिष्ठा समझौता (अनुलग्नक II)	20
15	शून्य विचलन का विवरण (अनुलग्नक III)	27
16	ब्लैकलिस्ट में न होने पर स्व-घोषणा (अनुलग्नक IV)	28

कोटेशन बोली नोटिस

राष्ट्रीय आवास बैंक (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) भारत सरकार के अधीन एक संवैधानिक निकाय है, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित किया गया। बैंक अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत पात्र आईआरडीएआई लाइसेंस प्राप्त बीमा ब्रोकर कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करता है, जिन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बैंक के अधिकारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा बीमा प्रदान करने के लिए बीमा ब्रोकर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक में बीमा ब्रोकर के पैनल के लिए "प्रस्ताव हेतु अनुरोध" (आरएफपी) बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध है और इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा इसका संदर्भ लिया जा सकता है/डाउनलोड किया जा सकता है।

बीमा ब्रोकर के कार्यक्षेत्र और प्रदान की जाने वाली अपेक्षित सेवाओं का कार्यक्षेत्र में विस्तार से उल्लेख किया गया है। केवल वे ब्रोकर ही बीमा ब्रोकर की इस पैनल प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। आरएफपी दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार ही आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

निविदा प्रक्रिया के लिए संपर्क जानकारी

श्री तुषाल कुमार सहायक प्रबंधक, एचआरएमडी राष्ट्रीय आवास बैंक कोर 5ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 ई-मेल: tushal.kumar@nhb.org.in संपर्क नंबर-011-39187337	श्री पीयूष पाण्डेय, उप महाप्रबंधक, एचआरएमडी राष्ट्रीय आवास बैंक कोर 5ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 ई-मेल: peeyush.pandey@nhb.org.in संपर्क नंबर-011-39187316
---	--

सामान्य आरएफपी विवरण

के लिए आवेदन	राष्ट्रीय आवास बैंक में बीमा ब्रोकर का पैनलीकरण
आरएफपी संदर्भ सं.	एचओ/एचआरएमडी/डीओसी/2025/03317
आरएफपी दस्तावेज शुल्क	₹ शून्य
ईएमडी राशि	लागू नहीं
सत्यनिष्ठा समझौते को स्वीकार करने की अंतिम तिथि	22/07/2025 18:00 बजे
सत्यनिष्ठा समझौते के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5-ए, 5वीं मंजिल, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
ऑनलाइन नोटिस की तिथि	08/07/2025 21:00 बजे
दस्तावेज डाउनलोड प्रारंभ तिथि	08/07/2025 21:00 बजे
दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	22/07/2025 18:00 बजे
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय	22/07/2025 18:00 बजे
आरएफपी का खुलना	23/07/2025 11:00 बजे
संचार के लिए पता	श्री तुषार कुमार प्रबंधक, एचआरएमडी राष्ट्रीय आवास बैंक कोर 5ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 ई-मेल: tushar.kumar@nhb.org.in संपर्क नंबर-.011-39187316
आरएफपी प्राप्ति का स्थान	<u>डाक द्वारा</u>

नोट: सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र केवल ऑफलाइन ही जमा किया जाएगा। पात्र बीमा ब्रोकर (“आवेदक”) अपना आवेदन केवल डाक के माध्यम से भेज सकते हैं।

आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदन गोपनीय हैं और उन्हें अधिकृत राष्ट्रीय आवास बैंक अधिकारियों द्वारा खोला जाएगा। कोई अन्य व्यक्ति आवेदनों से संबंधित जानकारी तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सकता है, जो गोपनीय और एन्क्रिप्टेड प्रकृति की है।

अनिवार्य जानकारी

क्र. सं.	विवरण	आवेदक द्वारा भरा जाना है
1.	बीमा ब्रोकर/आवेदक का नाम	
2.	फर्म का प्रकार मालिक/भागीदार/एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड या अन्य	
3.	मालिक/भागीदारों/निदेशकों/मालिक का नाम	
4.	पत्राचार के लिए पूरा पता	
5.	ईमेल पता और मोबाइल नं.	
6.	स्थापना वर्ष	
7.	31 दिसंबर 2024 तक समग्र श्रेणी के तहत आईआरडीएआई बीमा ब्रोकर लाइसेंस/पंजीकरण संख्या और समग्र श्रेणी के तहत नवीनीकरण की संख्या। वैध पंजीकरण/लाइसेंस प्रति और नवीनतम नवीनीकरण प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।	
8.	समग्र श्रेणी के अंतर्गत आईआरडीए बीमा ब्रोकर लाइसेंस/पंजीकरण की वैधता अवधि/तिथि	
11.	पैन कार्ड सं.	
12.	जीएसटी सं.	
13.	एमएसएमई हां/नहीं	
14.	31 मार्च तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान चुकता पूंजी और वार्षिक औसत राजस्व (करोड़ में)	चुकता पूंजी: _____ करोड़ में राजस्व (वित्त वर्ष 2022-23): __ करोड़ में राजस्व (वित्त वर्ष 2023-24): __ करोड़ में राजस्व (वित्त वर्ष 2024-25): __ करोड़ में औसत: _____ करोड़ में
15.	31 मार्च 2025 तक कंपनी रोल पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	
16.	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट (31 मार्च, 2025) के अनुसार प्रत्यक्ष व्यवसाय से वार्षिक राजस्व (करोड़ रुपए में)	

17.	रियल टाइम-टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की उपलब्धता [पॉलिसी सर्विसिंग और दावे - ईबी और अन्य पॉलिसियाँ] (हाँ या नहीं)	
18.	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल प्रीमियम (करोड़ रुपए में)	_____ करोड़ में
19.	अखिल भारत में शाखाओं की संख्या	
20.	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए घरेलू अस्पताल में भर्ती और समूह स्वास्थ्य बीमा और समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियों के तहत दर्ज दावों की कुल राशि	
21.	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संपत्ति/इंजीनियरिंग/समुद्री/देयता/मोटर्स और विविध के अंतर्गत दर्ज दावों की कुल राशि	
22.	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दर्ज दावों (घरेलू अस्पताल में भर्ती और समूह स्वास्थ्य बीमा और समूह व्यक्तिगत दुर्घटना) की संख्या के अनुसार निपटाए गए दावों का प्रतिशत?	
23.	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संपत्ति/इंजीनियरिंग/समुद्री/देयता/मोटर्स और विविध के तहत दर्ज कुल दावों की संख्या में से निपटाए गए कुल दावों की संख्या का प्रतिशत क्या है?	

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि हमारी जानकारी के अनुसार यह सूचना प्रामाणिक है और स्वीकार करते हैं कि इसे जानबूझकर छिपाना किसी भी स्तर पर अयोग्यता के बराबर होगा।

ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ की मुहर और हस्ताक्षर।

दिनांक :

स्थान :

आवेदकों के लिए जानकारी

1. आवेदन केवल प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में उल्लिखित पते पर डाक द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।
2. दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति आवेदन जमा करने के लिए अधिकृत होना चाहिए।
3. कृपया आवेदन के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझने के लिए आरएफपी दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए शर्तें

1. भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.03.2012 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी) के अनुसार, सार्वजनिक खरीद नीति एमएसई आदेश, 2012 के तहत उपलब्ध लाभ / वरीयता प्राप्त करने के लिए एमएसई को निम्नलिखित में से किसी के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
 - क. जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी)
 - ख. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
 - ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
 - घ. कॉयर् बोर्ड
 - ङ. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)
 - च. हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय
 - छ. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य निकाय
 - ज. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी उद्योग आधार पावती/उद्योग आधार ज्ञापन।
2. आरएफपी में भाग लेने वाले एमएसई को उपरोक्त एजेंसियों में से किसी एक के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैध और अधिकृत प्रति प्रस्तुत करनी होगी। डीआईसी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं को डीआईसी प्रमाणपत्र की मूल नोटरीकृत प्रति संलग्न करनी होगी। एमएसई को ध्यान देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि एमएसई के प्रमाणपत्र में उल्लिखित सेवाओं और निर्मित वस्तुओं/वस्तुओं की प्रकृति आरएफपी के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं और वस्तुओं/वस्तुओं की प्रकृति से मेल खाती है।
3. उपरोक्त एजेंसियों में से किसी एक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र आरएफपी की आवेदन समाप्ति तिथि तक वैध होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता सुनिश्चित करनी होगी।

4. जिन एमएसई ने उपर्युक्त किसी भी एजेंसी/निकाय के पास पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है, लेकिन आरएफपी की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, वे छूट/वरीयता के लिए पात्र नहीं हैं।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए मानदंडों में छूट:

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, गुणवत्ता विनिर्देशों की पूर्ति के अधीन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए पूर्व राजस्व और पूर्व अनुभव के संबंध में पूर्व-योग्यता मानदंड में छूट दी जा सकती है।

आरएफपी की सामान्य शर्तें

आवेदकों को नीचे उल्लिखित आरएफपी की सामान्य शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि देनी होगी, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा चुने गए सफल आवेदक के साथ संपन्न अनुबंध के भाग के रूप में स्वतः ही माना जाएगा। ऐसा न करने पर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को अस्वीकार किया जा सकता है।

1. कानून: अनुबंध भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किया जाएगा।
2. अनुबंध की प्रभावी तिथि: राष्ट्रीय आवास बैंक और सफल आवेदक के बीच किया गया अनुबंध, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन समझौते की तारीख से 03 वर्ष तक वैध रहेगा। आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, सेवा से असंतुष्ट होने पर तीन महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
3. आरएफपी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर आरएफपी प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा यह उनके द्वारा आरएफपी की सामान्य शर्तों, विशेष शर्तों आदि से परिचित होने के बाद लिया जाएगा। बिना हस्ताक्षर वाले किसी भी आरएफपी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
4. आरएफपी दाखिल करते समय किए गए सभी विलोपनों और परिवर्तनों को आवेदक के अधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। आंकड़ों को ओवरराइट करने की अनुमति नहीं है; इनमें से किसी भी शर्त का पालन न करने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। आवेदन खुलने के बाद शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. अनुचित प्रभाव के उपयोग के लिए दंड: आवेदक यह वचन देता है कि उसने राष्ट्रीय आवास बैंक की सेवा में या अन्यथा अनुबंध प्राप्त करने या राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ वर्तमान अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध को प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में कोई कार्य करने या करने से मना करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार, विचार, इनाम, कमीशन, शुल्क, ब्रोकरेज या प्रलोभन नहीं दिया है, देने की पेशकश नहीं की है या देने का वादा नहीं किया है। आवेदक की ओर से राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी/कर्मचारी या राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी/कर्मचारी को इस या किसी अन्य अनुबंध के संबंध में कोई पक्षपात करने के लिए प्रभावित करने की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को कोई उपहार, रिश्तत या प्रलोभन देना या ऐसा कोई कार्य करने का प्रयास करना, आवेदक को ऐसे दायित्व/दंड के लिए बाध्य करेगा जैसा राष्ट्रीय आवास बैंक उचित समझे।
6. अनुबंध की समाप्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक को निम्नलिखित में से किसी भी मामले में इस अनुबंध को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त करने का अधिकार होगा:
 - क. आवेदक दिवालिया घोषित हो जाता है या दिवालिया हो जाता है।
 - ख. आपसी सहमति से
 - ग. यदि अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक अनुबंध को समाप्त करने सहित उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. नोटिस: आरएफपी के तहत आवश्यक या अनुमत कोई भी नोटिस अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा और उसे

पार्टियों के बीच किए जाने वाले अनुबंध में उल्लिखित पते/ई-मेल पर ईमेल या डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए।

8. संशोधन: बैंक इस आरएफपी के नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, हालांकि, ऐसे मामले में आवेदकों को संशोधनों के बारे में पहले से सूचित किया जाएगा।
9. आवेदनों का मूल्यांकन और तुलना: न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले आवेदकों को तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले आवेदक प्रेजेंटेशन राउंड मूल्यांकन के लिए पात्र होंगे। आवेदकों को सभी पात्रता मानदंडों (प्रमाण के साथ) का पालन करना होगा। किसी भी पात्रता मानदंड का अनुपालन न करने पर आवेदन सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
10. आवेदकों को आरएफपी से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आरएफपी में उल्लिखित राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों को लिखना चाहिए। किसी भी आवेदक द्वारा बैंक की मूल्यांकन प्रक्रिया या अनुबंध पुरस्कार निर्णयों को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास करने पर आवेदन को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक का निर्णय अंतिम होगा तथा इस आरएफपी से संबंधित सभी मामलों में बाध्यकारी होगा।

आरएफपी के लिए विशेष शर्तें

1. भुगतान की शर्तें: बैंक बीमा ब्रोकर द्वारा बैंक को दी गई पॉलिसियों के लिए कोई शुल्क देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और इसे बीमा कंपनी द्वारा आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार कमीशन के रूप में ब्रोकर को सीधे भुगतान किया जाएगा।
2. चयनित बीमा ब्रोकर हर समय एक स्वतंत्र सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। एजेंसी के चयन से सफल ब्रोकर और बैंक के बीच प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध नहीं बनेगा।
3. अनुबंध की अवधि: अनुबंध 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा, बशर्ते कि हर साल कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाए। सेवा संतोषजनक पाए जाने पर, अनुबंध को आपसी सहमति से अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
4. अनुबंध/विवाद समाधान को नियंत्रित करने वाला कानून: अनुबंध भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा, जो समय-समय पर संशोधित रूप में लागू हैं। इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा सक्षम न्यायालय में किया जाएगा। अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने का विशेष अधिकार दिल्ली की अदालतों को होगा।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने आरएफपी के उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है।

आवेदक की मुहर और हस्ताक्षर

पैनल प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड, कार्य का दायरा निम्नानुसार है

कार्य का दायरा

चयनित आवेदक द्वारा किए जाने वाले कार्य का न्यूनतम निर्दिष्ट दायरा नीचे उल्लिखित है:

चरण 1 – प्री-प्लेसमेंट सेवाएं

बीमा ब्रोकर/परामर्शदाता चिकित्सा बीमा के लिए बैंक की नीति के अनुसार पूरी प्रक्रिया की रणनीतिक अवधारणा और आरंभीकरण की देखरेख करेंगे। एनएचबी के साथ निम्नलिखित कार्य शीर्षों के साथ अवधारणा तैयार की जाएगी:

- क. इष्टतम कवरेज तक पहुंचने के लिए आश्रितों की संख्या और उनकी आयु सहित अधिकारियों के विवरण की जांच।
- ख. बीमा पॉलिसी का डिजाइन और प्लेसमेंट।
- ग. लागत नियंत्रण उपाय।
- घ. दावा निपटान और सर्विस मैपिंग
- ङ. संचार योजनाएँ
- च. अतिरिक्त कवरेज लाभों का सत्यापन और पूर्वानुमान।
- छ. अधिकारियों के दावों के निर्बाध प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करना।

चरण 2 - प्लेसमेंट सेवाएँ

बीमा ब्रोकर/परामर्शदाता रणनीतिक परामर्शदाता के रूप में कार्य करेंगे तथा योजना की प्लेसमेंट प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

1. प्लेसमेंट रणनीति - बीमाकर्ता के चयन के लिए पारदर्शी आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) प्रक्रिया के माध्यम से
 - क. राष्ट्रीय आवास बैंक के सहयोग से बीमाकर्ता चयन के लिए मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करना।
 - ख. राष्ट्रीय आवास बैंक को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव हेतु अनुरोध तैयार करना।
 - ग. बाजार में राष्ट्रीय आवास बैंक की सेवा आवश्यकता और बीमाकर्ता की क्षमताओं का आकलन करना और तदनुसार बैंक की उचित मंजूरी के साथ बीमाकर्ताओं से कोटेशन मंगवाने की सुविधा प्रदान करना।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पारदर्शी प्रक्रिया में कोटेशन विश्लेषण किया जाएगा

क. कोटेशन का मूल्यांकन करना।

ख. सर्वोत्तम प्रस्ताव का पता लगाने के लिए बीमाकर्ता की बैठकों (यदि आवश्यक हो) की सुविधा प्रदान करना।

3. अनुशंसा एवं प्लेसमेंट की पुष्टि

क. मूल्यांकन के आधार पर बीमाकर्ता की सिफारिश करना।

ख. सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार प्लेसमेंट।

4. नीति समीक्षा

क. यह सुनिश्चित करना कि प्रदान की गई आरएफपी के अनुसार पॉलिसी नियम व शर्तों का पालन किया जा रहा है।

ख. पॉलिसी जारी करने के लिए डेटा समेकन।

चरण 3 – पोस्ट-प्लेसमेंट सेवाएं

बीमा ब्रोकर बैंक की रणनीतिक रामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा और प्लेसमेंट के बाद की गतिविधियों के रूप में निम्नलिखित कार्य करेगा:

1. सेवा सहायता

क. सभी सेवाओं के लिए एकल संपर्क बिंदु प्रदान करना।

ख. प्रश्नों के समाधान के लिए स्पष्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स स्थापित करें।

ग. विभिन्न उत्पादों के लिए उत्पाद विशेषज्ञों की भागीदारी।

घ. किसी भी दावे को दाखिल करने के लिए 24x7 ऑनलाइन पोर्टल, जिससे कागजी कार्रवाई कम हो जाए।

ड. परेशानी मुक्त दावा निपटान प्रक्रिया सुनिश्चित करना और जहां भी आवश्यक हो हस्तक्षेप करना।

2. संचार सहायता

क. कर्मचारी संचार का डिजाइन और कार्यान्वयन।

ख. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न डिजाइन।

ग. नीति लाभ संचार सत्र और साहित्य।

घ. दावे की स्थिति अपडेट और प्रश्नों के लिए स्वचालित चैटबॉट।

3. दावा निगरानी एवं आवधिक समीक्षा

क. त्रैमासिक उपयोगिता रिपोर्ट एवं प्रस्तुति।

ख. तृतीय-पक्ष प्रशासक (टीपीए) निगरानी, ताकि दायर दावों और टीपीए द्वारा निपटाए गए दावों के बीच एकरूपता सुनिश्चित की जा सके, जिससे दावों और प्रश्नों का समय पर समाधान सुनिश्चित हो सके।

4. सेवा प्रबंधन

- क. बीमाकर्ताओं और तृतीय-पक्ष प्रशासक के साथ डिलिवरेबल्स और अपेक्षाएं निर्धारित करना।
- ख. दावों की संख्या प्रबंधन।
- ग. दावा वृद्धि प्रबंधन।
- घ. एंडोर्समेंट डेटा हैंडलिंग।

5. टर्नअराउंड समय विश्लेषण

क. टीपीए/बीमाकर्ता द्वारा डिलीवरी की निगरानी।

6. प्रशासन सहायता

- क. राष्ट्रीय आवास बैंक के परामर्श से सदस्यता डेटा का प्रबंधन करना।
- ख. कॉर्पोरेट बफर की निगरानी।
- ग. मासिक एंडोर्समेंट की गणना।
- घ. डेटा की कमी के मामले में टीपीए के साथ समन्वय।
- ङ. प्रश्नों के समाधान और सहायता के लिए कर्मचारियों/लाभार्थियों के साथ समन्वय।

7. सूचीबद्ध आवेदक को बैंक के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौते और सेवा स्तर समझौते और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना होगा।

प्रस्ताव / आवेदन प्रस्तुत करना

प्रस्ताव दो भागों में प्रस्तुत किए जाएंगे:

भाग ए: तकनीकी मूल्यांकन।

भाग बी: प्रस्तुतिकरण

भाग ए: तकनीकी मूल्यांकन

- I. उन आवेदकों के प्रस्तावों पर तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
- II. प्रस्तुत तकनीकी बोली सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए तथा इसमें इस दस्तावेज में मांगी गई सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए।
- III. दस्तावेजों पर आवेदक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए।

भाग बी: प्रस्तुतिकरण

तकनीकी मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वाले आवेदकों को बैंक के पैनल के समक्ष प्रस्तुति देना होगा।

प्रस्तावों/आवेदनों का मूल्यांकन

केवल वे आवेदक जो पात्रता मानदंड के सभी मापदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें तकनीकी मूल्यांकन के लिए चुना जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्रेजेंटेशन राउंड के लिए चुना जाएगा। पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों को प्रत्येक पात्रता मानदंड के लिए समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उच्चतम अंक (तकनीकी मूल्यांकन + प्रस्तुतिकरण राउंड) प्राप्त करने वाले आवेदक को बैंक के साथ बीमा ब्रोकर के रूप में तीन साल की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और संतोषजनक प्रदर्शन पर आपसी सहमति से 2 साल के लिए और अधिक समय के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्तर पर किसी भी या सभी आवेदकों से स्पष्टीकरण मांग सकता है। निर्धारित समय के भीतर प्राप्त सभी स्पष्टीकरणों पर मूल्यांकन हेतु विचार किया जाएगा।

पात्रता मापदंड

क्र. सं.	पात्रता मापदंड	हां/ नहीं	प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज
1	क्या आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित या पंजीकृत है।		निगमन प्रमाणपत्र/पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
2	क्या आवेदक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा "समग्र" लाइसेंस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत/जारी लाइसेंस है और अनुबंध के तहत नियुक्ति के लिए पात्र है		सभी समग्र श्रेणी लाइसेंसों की प्रतिलिपि और संयुक्त श्रेणी नवीनीकरण प्रतिलिपि
3	आवेदक को 31 मार्च, 2025 तक कम से कम सात वर्षों से भारत में रहना चाहिए, अर्थात्, उनके समग्र श्रेणी लाइसेंस का आईआरडीए द्वारा कम से कम दो बार नवीकरण किया जाना चाहिए।		सभी समग्र श्रेणी लाइसेंसों की प्रतिलिपि और संयुक्त श्रेणी नवीनीकरण प्रतिलिपि
4	आवेदक के पास सरकारी संगठनों/पीएसबी के लिए काम करने का अनुभव होना चाहिए और पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम 5 ऐसे संगठनों को सेवा प्रदान की होनी चाहिए।		अधिकृत कार्मिक द्वारा कंपनी के लेटरहेड पर स्व-घोषणा, पैनलबद्धता पत्रों की प्रतियों के साथ।
5	आवेदक के पास न्यूनतम 5 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम 25 करोड़ रुपये की वार्षिक औसत आय होनी चाहिए।		अधिकृत कार्मिक द्वारा कंपनी के लेटरहेड पर स्व-घोषणा और पिछले तीन वित्तीय वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की प्रतियां।
6	कंपनी का दिल्ली/नोएडा/गुडगांव में कार्यालय होना चाहिए।		पते के प्रमाण के साथ प्राधिकृत कार्मिक द्वारा आवेदक के लेटरहेड पर स्व-घोषणा।
7	क्या आवेदक ने अनुलग्नक के अनुसार सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं?		अनुलग्नक I से अनुलग्नक IV तक आवेदक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

टिप्पणी:

- i. तकनीकी मूल्यांकन हेतु पात्र होने के लिए आवेदक को उपर्युक्त प्रत्येक मानदंड को पूरा करना होगा।
- ii. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) और स्टार्ट अप भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार रियायत के लिए पात्र होंगे।
- iii. आवेदक को जहां भी आवश्यक हो, उपरोक्त पात्रता मानदंड के लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सभी दस्तावेजों पर आवेदक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। पात्रता मानदंडों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रासंगिक भागों को हाइलाइट किया जाना चाहिए। पृष्ठ संख्या/दस्तावेज नाम उचित रूप से दर्शाए जाएं।

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

स्थान:

पदनाम:

कंपनी की मुहर:

भाग ए: तकनीकी मूल्यांकन

क्र. सं.	विवरण	अंक		प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
1	31 मार्च, 2025 तक आईआरडीएआई द्वारा दिए गए समग्र लाइसेंस के बाद से वर्षों की संख्या:	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक	मूल लाइसेंस और नवीनीकरण की प्रतियां
	7 वर्ष तक	4	10	
	7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	6		
	10 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक	8		
	12 वर्ष से अधिक	10		
2	आवेदकों के पास 31 मार्च, 2025 तक न्यूनतम 50 कर्मचारी होने चाहिए। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी रोल पर कर्मचारियों की संख्या:		10	अधिकृत कार्मिक द्वारा कंपनी लेटरहेड पर स्व-घोषणा
	50 से 100 के बीच	4		
	100 से ऊपर और 150 तक	6		
	150 से अधिक और 200 तक	8		
	200 से अधिक	10		
3	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट (वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 वित्त वर्ष 2024-25) के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक राजस्व (करोड़ में):		10	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में वार्षिक टर्नओवर के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाण पत्र के साथ अधिकृत कार्मिक द्वारा कंपनी के लेटरहेड पर स्व-घोषणा।
	25 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ तक	4		
	50 करोड़ से अधिक से 75 करोड़ तक	6		
	75 करोड़ से अधिक से 100 करोड़ तक	8		
	100 करोड़ से अधिक	10		
4	रियल टाइम-टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की उपलब्धता [पॉलिसी सर्विसिंग और दावे - कर्मचारी लाभ और अन्य पॉलिसियाँ]:		10	अधिकृत कार्मिक द्वारा कंपनी लेटरहेड पर स्व-घोषणा
	हाँ	10		
	नहीं	0		
5	वित्त वर्ष 2024 - 25 के लिए रखा गया कुल प्रीमियम (करोड़ रुपए में)		10	अधिकृत कार्मिक द्वारा कंपनी लेटरहेड पर स्व-घोषणा
	500 करोड़ तक	4		
	500 करोड़ से अधिक से 1000 करोड़ तक	6		
	1000 से अधिक 1500 करोड़ तक	8		
	1500 करोड़ से अधिक	10		

6	भारत में शाखाओं/कार्यालयों की संख्या		10	अधिकृत कार्मिक द्वारा कंपनी के लेटरहेड पर शाखाओं के विवरण के साथ स्व-घोषणा
	3 तक	4		
	3 से 6	6		
	7 से 10	8		
	10 से अधिक	10		
7	वित्त वर्ष 2024 - 25 के लिए घरेलू अस्पताल में भर्ती और समूह स्वास्थ्य बीमा और समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियों के तहत दर्ज दावों की कुल राशि			अधिकृत कार्मिक द्वारा कंपनी लेटरहेड पर स्व-घोषणा
	50 करोड़ तक	4	10	
	50 करोड़ से अधिक 100 करोड़ तक	6		
	100 करोड़ से अधिक 250 करोड़ तक	8		
	250 करोड़ से अधिक	10		
8	पिछले 5 वर्षों में जुड़े सावजनिक क्षेत्र/सरकारी ग्राहकों की संख्या।			निष्पादित कार्य आदेश/अनुबंध की प्रमाणित प्रतियां।
	3 तक	4	10	
	3 से अधिक 5 तक	6		
	5 से अधिक 7 तक	8		
	7 से अधिक	10		
9	दर्ज किए गए दावों (घरेलू अस्पताल में भर्ती और समूह स्वास्थ्य बीमा और समूह व्यक्तिगत दुर्घटना) की संख्या के अनुसार निपटाए गए दावों का प्रतिशत?			अधिकृत कार्मिक द्वारा कंपनी लेटरहेड पर स्व-घोषणा
	75% तक	8	20	
	75% से अधिक से 85%	12		
	85% से अधिक से 95%	16		
	95% से अधिक	20		

10	तकनीकी मूल्यांकन में कुल अंक	100
11	प्रस्तुति दौर में भाग लेने के लिए न्यूनतम तकनीकी योग्यता अंक	70

तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम 70 अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्रस्तुतिकरण राउंड के लिए चुना जाएगा।

भाग – बी: प्रस्तुतिकरण

तकनीकी मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वाले आवेदकों को एक प्रस्तुतिकरण देना होगा। प्रस्तुति में कंपनी की प्रोफाइल और कंपनी द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी शामिल होनी चाहिए।

Note:

- प्रस्तुति की तिथि और समय शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- प्रस्तुति अवधि: 15 मिनट (प्रश्नोत्तर सहित)।
- प्रस्तुतिकरण राउंड के कुल अंक 100 हैं।
- आवेदकों द्वारा दी गई प्रस्तुति के आधार पर बैंक की समिति द्वारा स्कोर निर्धारित किए जाएंगे, जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में बताया गया है। सबसे अधिक अंक (तकनीकी मूल्यांकन (भाग ए) + प्रस्तुति राउंड (भाग बी)) पाने वाले आवेदक को बैंक में बीमा ब्रोकर के रूप में तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। संतोषजनक प्रदर्शन पर, आपसी सहमति से अवधि को दो (02) वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
- तकनीकी मूल्यांकन: प्रस्तुतिकरण का अनुपात 70:30 होगा।

(किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को अंतिम जायेगा।)

ANNEXURE I

TENDERING PROCESS COMPLIANCE STATEMENT

The following terms and conditions are deemed as accepted by you for participation in the Application event (RFP Ref: *HO/HRMD/DOC/2025/03317*)

1. Technical and other queries can be routed to the respective contact personnel of NHB indicated in the RFP document.
2. Order finalization and post order activities will be transacted directly between the Applicant and NHB.
3. Applications once made cannot be withdrawn or modified under any circumstances.
4. NHB reserves the right to extend or reschedule or annul the empanelment process.

The Applicants are advised to visit <https://www.nhb.org.in/tenders/> for any corrigendum etc.

I / We have read, understood, and agree to empanelment process compliance statement.

Date:

Organization Name:

Designation:

ANNEXURE II

RFP No. _____

Date of Issue of RFP: _____

Pre Contract Integrity Pact
(To be obtained depending on the threshold fixed)
(To be executed on a non- judicial stamp paper)^b

This pre-bid/pre-contract Agreement (hereinafter called “**this Integrity Pact**”) between, the National Housing Bank, a body corporate established under the provisions of the National Housing Bank Act, 1987 having its Head Office at Core 5A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003 represented through Shri/Ms _____, (Designation) (hereinafter called “NHB”, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, its successors in office and assigns) of the First Part

AND

M/s _____ represented by Shri _____, Chief Executive Officer (hereinafter called the “Bidder” which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) of the Second Part.

(The party of the First Part and the party of the Second Part are hereinafter collectively referred to as the “Parties” and individually as the “Party”)

WHEREAS NHB proposes to procure _____ (name of the items/services) as mentioned in the RFP No. _____ (“RFP”) and the Bidder is willing to offer/has offered _____ (name of the items/services) as desired by NHB in terms of the RFP;

WHEREAS the Bidder is a private company/public company/Government undertaking/LLP/partnership/registered export agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and NHB is a body corporate established under the Act of Parliament;

WHEREAS to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the currency of the contract to be entered into with a view to:-

- (i) enabling NHB to obtain the desired said stores/equipment/services at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement and
- (ii) enabling Bidders to abstain from bribing or indulging in any corrupt practice in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing and other corrupt practices and NHB will commit to prevent corruption, in any form, by its officials by following transparent procedures.

WHEREAS the Parties are required to execute this Integrity Pact as a prequalification for the Bidder to participate in the bidding process;

AND WHEREAS the Parties hereby agree to enter into this Integrity Pact on the terms and conditions mentioned hereinafter.

NOW IT IS THEREFORE AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

1. Commitments of NHB

- 1.1** NHB undertakes that no official of NHB, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take a promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the Bidder, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, Bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.
- 1.2** NHB will, during the pre-contract stage, treat all Bidders alike and will provide to all Bidders the same information and will not provide any such information to any particular Bidder which could afford an advantage to that particular Bidder in comparison to other Bidders.
- 1.3** All the officials of NHB will report to the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.
- 2.** In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the Bidder to NHB with full and verifiable facts and the same is prima facie found to be correct by NHB, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by NHB and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by NHB the proceeding under the contract would not be stalled.

3. Commitments of Bidders

- 3.1** Compliance of the Instructions of GOI/Guidelines of CVC/Others: The Bidder undertakes that in case of its selection as the successful Bidder, it shall perform its duties under the Contract in strict compliance of the relevant and extant instructions of Government of India, GFR issued by Ministry of Finance, Guidelines of CVC and provisions of the Procurement Manual/relevant instructions of NHB, as applicable to the subject matter.
- 3.2** The Bidder represents that it has the expertise to undertake the assignment/contract and also has the capability to deliver efficiently and effectively the goods/advice/services to NHB under the contract in terms of the RFP.
- 3.3** The Bidder commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its Bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-
 - (a) The Bidder will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of NHB,

- connected directly or indirectly with the Bidding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the Bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.
- (b) The Bidder has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees , brokerage or inducement to any official of NHB or otherwise in procuring the Contract or forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavor to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.
 - (c)* The Bidder shall disclose the name and address of its agents and representatives including its foreign principals or associates. In case of Foreign Bidder, it shall disclose name and address of its agents and representatives in India.
 - (d)* The Bidder shall disclose the payments to be made by it to agents/brokers or any other intermediary, in connection with this Bid/contract.
 - (e)* The Bidder has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to NHB or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the Bidder, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect or any such intercession, facilitation or recommendation.
 - (f) The Bidder, either while presenting the Bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payments he has made, is committed to or intends to make to officials of NHB or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.
 - (g) The Bidder will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, Bid evaluation, contracting and implementation of the contract.
 - (h) The Bidder will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.
 - (i) The Bidder shall not use improperly, for purposes of competition or personal gain or pass on to others, any information provided by NHB as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained in any electronic data carrier and shall not commit any offence under Prevention of Corruption Act, 1988 and Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. The Bidder also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.
 - (j) The Bidder commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.
 - (k) The Bidder shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the actions mentioned above.
 - (l) If the Bidder or any employee of the Bidder or any person acting on behalf of the Bidder, either directly or indirectly is a relative of any of the officers of NHB or alternatively, if any relative of an officer of NHB has financial interest/stake in the Bidders firm, the same shall be disclosed by the Bidder at the time of filing of tender.

The term 'relative' for this purpose would be as defined in Section 2 of the Companies Act 2013.

- (m) The Bidder shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of NHB.
- (n) The Bidders shall disclose any transgressions with any other company that may impinge on the anti-corruption principle.
- (o) The Bidder has not entered into any undisclosed agreement or understanding with other Bidders with respect of prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, etc.

3.4 The Bidder undertakes and affirms that it shall take all measures necessary to prevent any possible conflict of interest and in particular commit itself to the following:

- (a) The Bidder shall avoid any conflict of interest while discharging contractual obligations and bring, beforehand, any possible instance of conflict of interest to the knowledge of NHB, while rendering any advice or service.
- (b) The Bidder shall act/perform, at all times, in the interest of NHB and render any advice/service with highest standard of professional integrity.
- (c) The Bidder undertakes that in case of its selection as the successful Bidder, it shall provide professional, objective, and impartial advice and at all times and shall hold NHB's interests paramount, without any consideration for future work, and that in providing advice it shall avoid conflicts with other assignments and its own interests.
- (d) The Bidder declares/affirms that it has not been hired by NHB for any assignment that would be in conflict with its prior or current obligations to other employers/buyers, or that may place it in a position of being unable to carry out the assignment/contract in the best interest of NHB. Without limitation on the generality of the foregoing, the Bidder further declares/affirms as set forth below:
 - (i) **Conflict between consulting activities and procurement of goods, works or non-consulting services (i.e. services other than consulting services)** - The Bidder has not been engaged by NHB to provide goods, works, or non-consulting services for a project, or any affiliate that directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with the Bidder. The Bidder is fully aware that it shall be disqualified from providing consulting services resulting from or directly related to those goods, works, or non-consulting services. Further, the Bidder is also aware of the fact that in case it has been hired to provide consulting services for the preparation or implementation of a project, or any affiliate that directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with the firm, shall be disqualified from subsequently providing goods, works, or services (other than consulting services) resulting from or directly related to the consulting services for such preparation or implementation.

This provision does not apply to the various firms (consultants, contractors, or suppliers) which together are performing the Bidder's obligations under a turnkey or design and build contract.

- (ii) **Conflict among consulting assignments** - The Bidder understands that neither Bidder (including their personnel and sub-consultants), nor any affiliate that

directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with the firm, shall be hired for the assignment that, by its nature, may be in conflict with another assignment of the Bidder. *As an example, Bidders assisting NHB in the privatization of public assets shall neither purchase, nor advise purchasers of, such assets. Similarly, Bidders hired to prepare Terms of Reference (TOR) for an assignment shall not be hired for the assignment in question.*

(iii) **Relationship with NHB's staff** – The Bidder is aware that the contract may not be awarded to the Bidder in case it is observed that it, including its experts and other personnel, and sub-consultants, if permitted, has/have a close business or family relationship with a professional staff of NHB (or of the project implementing agency) who are directly or indirectly involved in any part of: (i) the preparation of the TOR for the assignment, (ii) the selection process for the contract; or (iii) the supervision of such contract, unless the conflict stemming from this relationship has been resolved in a manner acceptable to NHB throughout the selection process and the execution of the contract.

(iv) **A Bidder shall submit only one proposal either individually or as a joint venture partner in another proposal:** If the Bidder, including a joint venture partner, submits or participates in more than one proposal, all such proposals shall be disqualified. This does not, however, preclude a consulting firm to participate as a sub-consultant, or an individual to participate as a team member, in more than one proposal when circumstances justify and if permitted by the RFP.

In case of a joint venture, all partners of the joint venture shall sign this Integrity Pact.

4. Previous Transgression

4.1 The Bidder declares that no previous transgression occurred in the last 3 (three) years reckoned backward from the date of submission of bid, with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify Bidder's exclusion from the tender process. The transgression(s) for which cognizance was taken even before the said period of 3 (three) years, but are pending conclusion shall also be reported by the bidder to NHB. Further, the Bidder shall disclose immediately instances of transgression, if any, that may have occurred and taken cognizance of elsewhere and of which the Bidder has come to know, during the execution of the contract .

4.2 The Bidder agrees that if it makes incorrect statement on this subject, Bidder can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded can be terminated for such reason.

5. Accountability

- 5.1 The Bidder undertakes that in case of its selection as the successful Bidder and assignment of the contract to the Bidder, it shall be accountable for the advice/supply made/to be made and/or for any service rendered/to be rendered by it to NHB, keeping in view norms of ethical business, professionalism and the fact that such advice / services to be rendered by it for a consideration.
- 5.2 The Bidder shall be accountable in case of improper discharge of contractual obligations and/or any deviant conduct by the Bidder.

6. Personal Liability

The Bidder understands that in case of its selection as the successful Bidder, the Bidder is expected to carry out its assignment with due diligence and in accordance with prevailing standards of the profession. The Bidder shall be liable to NHB for any violation of this Integrity Pact as per the Applicable Laws, besides being liable to NHB as may be provided under the service level agreement/contract to be executed.

7. Transparency and Competitiveness

The Bidder undertakes that in case of its selection as the successful Bidder, it shall keep in view transparency, competitiveness, economy, efficiency and equal opportunity to all prospective tenderers/Bidders, while rendering any advice/service to NHB, in regard with matters related to selection of technology and determination of design and specifications of the subject matter, Bid eligibility criteria and Bid evaluation criteria, mode of tendering, tender notification, etc.

8. Co-operation in the Processes:

The Bidder shall cooperate fully with any legitimately provided/constituted investigative body, conducting inquiry into processing or execution of the consultancy contract/any other matter related with discharge of contractual obligations by the Bidder.

9. Sanctions for Violations

- 9.1 Any breach of the aforesaid provisions by the Bidder or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the Bidder) shall entitle NHB to take all or any one of the following actions, whenever required:
 - (i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the Bidder. However, the proceedings with the other Bidder(s) would continue.
 - (ii) The Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and / or Security Deposit /Performance Bond/PBG (after the contract is signed) shall stand forfeited either fully or partially, as decided by NHB and NHB shall not be required to assign any reason therefor.
 - (iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the Bidder.

- (iv) To recover all sums already paid by NHB, and in case of an Indian Bidder with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of State Bank of India, while in case of a Bidder from a country other than India with interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the Bidder from NHB in connection with any other contract, such outstanding payment could also be utilized and appropriated by NHB to recover the aforesaid sum and interest.
- (v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the Bidder, in order to recover the payments already made by NHB, along with interest.
- (vi) To cancel all or any other contracts with the Bidder. The Bidder shall be liable to pay compensation for any loss or damage to NHB resulting from such cancellation /rescission and NHB shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the Bidder.
- (vii) To debar the Bidder from participating in future Bidding process of NHB for a minimum period of three years which may be further extended at the discretion of NHB.
- (viii) To recover all sums paid in violation of this Integrity Pact by Bidder(s) to any middleman or agent or broker with a view to securing the contract.
- (ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by NHB with the Bidder, the same shall not be opened.
- (x) Forfeiture of Performance Bond/PBG in case of a decision by NHB to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Integrity Pact.

9.2 NHB will also be entitled to take all or any of the actions mentioned at para 9.1(i) to (x) of this Integrity Pact on commission by the Bidder or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the Bidder), of an offence under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or Prevention of Corruption Act, 1988 or any other statute enacted for prevention of corruption.

9.3 The decision of NHB to the effect that a breach of the provisions of this Integrity Pact has been committed by the Bidder shall be final and conclusive on the Bidder. However the Bidder can approach the Independent Monitor(s) appointed for the purposes of this Integrity Pact.

10. Fall Clause:

The Bidder undertakes that it has not supplied/is not supplying similar goods/product/systems or subsystems/ services at a price lower than that offered in the present Bid in respect of any other Ministry/Department of the Government of India or PSU/Public Sector Bank and if it is found at any stage that similar goods/product/systems/services was supplied by the Bidder to any other Ministry/Department of the Government of India or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the Bidder to NHB, if the contract has already been concluded.

11. Disqualification & Forfeiture of EMD/PBG etc

The Bidder(s) agree(s) that:

- (a)** Prior to award of contract or during execution of the contract, if the Bidder (s) has/have committed any transgression/breach of this Integrity Pact, NHB is entitled to disqualify the Bidder(s) from the tendering process/terminate the contract.
- (b)** If NHB disqualifies the Bidders(s) from the tendering process prior to award of contract under clause (a) above, NHB is entitled to demand and recover the damages equivalent to the EMD and in such event, the EMD shall be forfeited.
- (c)** After selection of the successful Bidder and/or during execution of the contract, any breach/violation by the successful Bidder of this Integrity Pact under clause (a) above shall entail forfeiture of performance bond/Performance Bank Guarantee (PBG).
- (a)** It is agreed that the decision of NHB regarding forfeiture of EMD/performance bonds/ PBG shall be final and binding.

12. Independent External Monitors:

- 12.1** NHB has appointed Sh. Rajendra Mohan Srivastava; E-mail ID: aaremes@yahoo.com and (2) Sh. Jojneswar Sharma; E-mail ID: sharmajoj@gmail.com as independent external monitors (hereinafter referred to as "the Monitors") for this Integrity Pact in consultation with the Central Vigilance Commission.
- 12.2** The task of the Monitors shall be to review independently and objectively whether and to what extent the Parties comply with the obligations under this Integrity Pact.
- 12.3** The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the Parties and perform their functions neutrally and independently.
- 12.4** Both the Parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project procurement including minutes of meeting.
- 12.5** As soon as the Monitor notices or has reason to believe a violation of this Integrity Pact, he will so inform the Authority designated by NHB.
- 12.6** The Bidder accepts that the Monitor has the right to access without restriction to all project documentation of NHB including that provided by the Bidder. The Bidder will also grant the Monitor upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his project documentation. The same is applicable to sub-contractors. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents (s) of the Bidder/sub-contractor with confidentiality.
- 12.7** NHB will provide to the Monitor sufficient information about all meetings among the Parties related to the project provided such meeting could have an impact on the

contractual relations between the Parties. The Parties will offer to the Monitor the option to participate in such meeting.

- 12.8** The Monitor will submit a written report to the designated Authority of NHB within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by NHB/Bidder and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.
- 12.9** In the event of any dispute between NHB and the Bidder, the same will be first referred to the panel of IEMs with the consent of both the parties for mediation, and the IEMs will try to resolve the dispute in a time bound manner. The fee and expenses incurred for holding meetings of IEMs for dispute resolution shall be shared equally by NHB and the Bidder. In case, the dispute remains unsolved even after mediation by the panel of IEMs, NHB may take further action as per the terms and conditions of the contract.

13. Facilitation of Investigation:

In case of any allegation of violation of any provision to this Integrity Pact or payment of commission, NHB or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounting of the Bidder and the Bidder shall provide necessary information and documents in English and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

14. Part of the Contract:

This Integrity Pact shall form a part of the contract to be executed between NHB & the successful Bidder.

15. Law and Place of Jurisdiction:

This Integrity Pact is subject to Indian Law. Any dispute arising out of this shall be subject to the jurisdictions of the Courts at New Delhi.

16. Other Legal Action:

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provision of the extant law in force relating to any civil or criminal proceedings. However, the Parties shall not approach the Courts of Law while representing the matters to the Monitor/s and shall await the decision of the Monitor/s in the matter.

17. Validity:

- 17.1** The validity of this Integrity Pact shall be from date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both NHB and the Bidder, including warranty period, whichever is later. In case Bidder is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six month from the date of the signing of this Integrity Pact.
- 17.2** Should one or several provisions of this Integrity Pact turn out or be invalid, the remainder of this Integrity Pact shall remain valid. In this case the Parties will strive to

come to an agreement to their original intentions.

The Parties hereto sign this Integrity Pact on the day, month and year and at the place mentioned herein below.

<p>For National Housing Bank</p> <p>(Authorised Signatory)</p> <p>Place: Date:</p> <p><u>Witness</u> 1. _____ _____ (Name & Address) 2. _____ _____ (Name & Address)</p>	<p>For Bidder</p> <p>(Authorised Signatory)</p> <p>Place: Date:</p> <p><u>Witness</u> 1. _____ _____ (Name & Address) 2. _____ _____ (Name & Address)</p>
--	---

STATEMENT OF NIL DEVIATIONS

(To be submitted in the Applicant's letterhead)

To,

Mr. Ranjan Kumar Barun
General Manager,
National Housing Bank
Floor 5th , Core 5A,
India Habitat Centre,
Lodhi Road, Delhi - 110003

Re: RFP Ref: *HO/HRMD/DOC/2025/03317*

Dear Sir,

There are no deviations (nil deviations) from the terms and conditions of the RFP. All the terms and conditions of the RFP are acceptable to us.

Yours faithfully,

(Authorized Signatory of Applicant)

Date:

(Company Seal)

SELF-DECLARATION ON NOT BEING BLACKLISTED

(To be provided on letterhead of the Applicant)

I hereby certify that (Name of the Applicant) has not been blacklisted by any Central/ State Government/ Public Undertaking/ Institute and there is no criminal case registered/ pending against the firm or its owner/ partners anywhere in India.

I also certify that the above information is true and correct in every respect and, at a later date, it is found that any details provided above are incorrect, any contract given to the above firm may be summarily terminated and the firm blacklisted.

Date:

Seal:

Authorized Signatory:

Place:

Name:

Designation:

Contact Number:

Number: